मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1-2/09/22/पं2 भोपाल, दिनांक 27/11/09

प्रति,

1. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.
3. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म.प्र.
4. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र.
5. समस्त, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.

विषय :– **अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का संधारण एवं पदोन्नति के संबंध में।**
संदर्भ :– **मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ–102/08/20–1 भोपाल दिनांक 15.10.08**

––0––

मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2008 के नियम–6 की अनुसूची–4 के अन्तर्गत सहायक अध्यापक से अध्यापक एवं अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है । अध्यापक संवर्गों की वरिष्ठता सूची के संधारण एवं पदोन्नति के लिए निम्नानुसार कार्रवाई की जाए :–

(क) <u>अध्यापक संवर्गों की वरिष्ठता सूची के संधारण के लिए आवश्यक मापदण्ड</u>

(1) ऐसे सहायक अध्यापक जिनकी नियुक्ति किसी निकाय में हुई है और उसी निकाय में कार्यरत हैं तो उनकी नियुक्ति आदेश तिथि एवं चयन के क्रमानुसार वरिष्ठता निधारित की जावेगी।

(2) प्रत्येक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन उनके नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची में 15 दिवस की समय–सीमा में संबंधितों से दावे/आपत्तियॉ प्राप्त कर नियमानुसार वरिष्ठता सूची का अंतिम रुप में प्रकाशन होना चाहिए।

(3) एक निकाय से अन्य निकाय में स्थानांतरित/संविलियन किये गये सहायक अध्यापकों की नवीन पदस्थापना निकाय में उनके कार्य भार ग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता निर्धारित होना चाहिए

(4) सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक अध्यापकों की जिले के अन्तर्गत निकाय द्वारा जारी वरिष्ठता सूचियों को एकजाई वरिष्ठता सूची संदर्भ सूची होगी। संदर्भ सूची नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर संधारित की जाएगी।

(5) ऐसे सहायक अध्यापक जिनकी भिन्न निकाय में नियुक्ति तिथि एक समान है उनकी एकजाई वरिष्ठता संदर्भ सूची में वरिष्ठता निर्धारण का क्रम उनकी आयु के अनुसार होगा, जो आयु में वरिष्ठ होंगे, वे वरिष्ठता संदर्भ सूची में वरिष्ठ होंगे। आयु समान होने पर वरिष्ठता संधारण का क्रम उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होगा।

(6) ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ऐसे संवर्ग जिनकी एकजाई वरिष्ठता संदर्भ सूची का प्रकाशन होना है जिले की निकायों द्वारा जारी वरिष्ठता सूची को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्राप्त कर एकजाई वरिष्ठता संदर्भ सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

(7) अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए अध्यापकों की जिले के अन्तर्गत निकायों की एकजाई वरिष्ठता सूची संदर्भ सूची होगी ।

(8) प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन प्रथम बार दिनांक 30.11.08 की स्थिति में रहेगा और इसके बाद प्रतिवर्ष एक अप्रैल की स्थिति में प्रकाशित की जावेगी ।

(9) प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन जारी निर्धारित प्रारुप के अनुसार किया जावेगा । प्रारुप के कालमों एवं उनके क्रम को परिवर्तित नहीं किया जावे और क्रमानुसार कालमों की पूर्ति यथास्थान की जावे।

(10) अध्यापक संवर्गों में पदोन्नति प्रथम बार से प्रारम्भ की जा रही है । यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रुप से (इनब्लॉक) सीधी भरती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे ।

(11) प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कराने का उत्तरदायित्व पंचायत अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का रहेगा।

(ख) अध्यापक संवर्गों की पदोन्नति की कार्रवाई :—

(1) मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2008 के नियम–6 की अनुसूची–4 के पदोन्नति समिति गठन एवं दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत पदोन्नति की कार्रवाई होना चाहिए ।

(2) पदोन्नत संवर्ग की कार्रवाई जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता के आधार नियमानुसार होना चाहिए ।

(3) भरती नियमों में स्वीकृत पदोन्नति के पदों की गणना एवं निर्धारित पदोन्नति के रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार पदोन्नति की कार्रवाई होना चाहिए ।

(4) पदोन्नत पदों के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन आवश्यक रूप से किया जावे ।

(5) प्रत्येक जिले में पदोन्नाति की कार्रवाई निर्धारित समय–सीमा में सम्पन्न की जावे ।

5

अतः उपर्युक्त के प्रकाश में अध्यापक संवर्गो की वरिष्ठता सूची का संधारण एवं पदोन्नति नियत समयावधि में पूर्ण कर संलग्न प्रपत्र (क, ख एवं ग) के अनुसार इस कार्यालय को प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से प्रेषित किया जाए । वरिष्ठता संधारण एवं पदोन्नति की कार्रवाई में किसी प्रकार का विलम्ब नही होना चाहिए । कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक / शि / शिक्षाकर्मी / 09 / 05 भोपाल, दिनांक 02/1/10

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
   मध्यप्रदेश की ओर म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक 1–2 / 2009 / 22 / पंचा.–2 भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2009 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

(वी.एस. सक्सेना)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

प्रपत्र–क

वरिष्ठता सूची के प्रकाशन को अद्यतन जानकारी

क्र	संवर्ग का नाम	जिला पंचायत/निकाय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या				कुल	कार्यरत पदों की संख्या				कुल	रिक्त पदों की संख्या				कुल	अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन दिनांक	प्राप्त सुझाव/आपत्तियों की संख्या	प्राप्त सुझाव/आपत्तियों का निराकरण दिनांक	अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन दिनांक (प्रति संलग्न करें)
			सामा	अजा	अजजा	अपिव		सामा	अजा	अजजा	अपिव		सामा	अजा	अजजा	अपिव					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

... से अन्य निकाय में स्थानान्तरि...
अध्यापकों ...

प्रपत्र–ख

सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति जानकारी

क्र.	संवर्ग का नाम	जिला पंचायत/ निकाय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या				कुल	कार्यरत पदों की संख्या				कुल	रिक्त पदों की संख्या				कुल	अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन दिनांक	प्राप्त सुझाव/ आपत्तियों की संख्या	प्राप्त सुझाव/ आपत्तियों का निराकरण दिनांक	अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन दिनांक (प्रति संलग्न करें)
			सामा	अजा	अजजा	अपिव		सामा	अजा	अजजा	अपिव		सामा	अजा	अजजा	अपिव					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

प्रपत्र–ग

अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की जानकारी

क्र.	विषय का नाम	पदोन्नति समिति का गठन का दिनाक	पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक	रोस्टर अनुसार समिति की अनुशंसा			कुल	पदोन्नति आदेश जारी करने दिनांक	जारी पदोन्नति आदेश कुल पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या			कुल	रिमार्क
				सामा	अजा	अजजा			सामा	अजा	अजजा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14